

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 / 399

दिनांक : 12/6/24



अनुसूची 33

[दत्तक ग्रहण विनियम 2022 36 (2)]

दत्तक ग्रहण आदेश

जिला : भरतपुर

राज्य : राजस्थान

भरतपुर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या :- 21/24

वर्ष :- 2024

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या : PRHA173912651

दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

1.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
3.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
4.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
5.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 39(1), 56(1), और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>

भाग 1

(क) आवेदक का नाम और पता (भावी दत्तक माता-पिता) :- श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती आरजू रिज़वी पत्नि श्री अंकित अग्रवाल निवासी 002, ग्राउण्ड फ्लॉर, Tower 03, Harmony Nirvana Country, सेक्टर 50, गुरुग्राम (हरियाणा)।

जिला कलक्टर
भरतपुर

- (ड) नान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सीटिले बालक के दत्तकग्रहण के नामों में सामू नहीं) - राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, सेक्टर नथुरा बर्डभारु रोड, सरसी अनुसंधान केंद्र के पीछे नालापुरा मरवापुर।
- (न) जिला बाल संरक्षण ईकाई का नाम और पता - सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, 261 साजेन्द्र नगर मरवापुर (राज)।
- (व) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण - राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (साध), 20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर (राज)।

नाम 2

(क) यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी नरवापुर द्वारा जिला बाल संरक्षण ईकाई मरवापुर के माध्यम से 18.05.2024 को दत्तकग्रहण का आवेदन फाइल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ संशोधित अनुसूची 9 में यथा उपबोधित जांच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।

(ख) यह कि आवेदकगण ने बालिका को एक नया नाम देने के लिये एक शपथ पत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम जोई रिज्जवी अग्रवाल है तथा तदनुसार बालिका को अंजनी नाम के बजाय जोई रिज्जवी अग्रवाल नाम से जाना जायेगा।

(ग) यह कि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गयी है और तदनुसार मैं श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती आरजू रिज्जवी पत्नि श्री अंकित अग्रवाल भावी दत्तक माता-पिता जिनका रजिस्ट्रीकरण संख्या PRHA173912651 है, के साथ बालिका जोई रिज्जवी अग्रवाल जन्मतिथि 06.12.2023 (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिये विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ :

- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती आरजू रिज्जवी पत्नि श्री अंकित अग्रवाल दत्तकग्रहण के लिये पात्र और उपयुक्त पाये गये है (देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर)।
- (ii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तकग्रहण विनियम 2022 में यथा उपबोधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।


२
जिला कलक्टर
मरवापुर



(iii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार, जोई रिज़वी अग्रवाल नाम की बालिका, जन्मतिथि 06.12.2023 जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 12 जून 2024 को एक दत्तकग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिये इस प्रकार दत्तक माता-पिता श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती आरजू रिज़वी पत्नि श्री अंकित अग्रवाल की संतान बन जाएगी और दत्तक माता-पिता बालिका के माता-पिता बन जाएंगे जैसे कि बालिका का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालिका के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालिका के सभी सम्बन्ध समाप्त माने जाएंगे और दत्तकग्रहण आदेश द्वारा दत्तकग्रहण परिवार में सृजित सम्बन्धों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(iv) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता - पिता का नाम और बालिका की जन्मतिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेन्सी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालिका के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(v) बालिका परित्यक्त बालिका है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण ईकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालिका की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।



(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

क्रमांक : दत्तकग्रहण आदेश / कोर्ट / 2024 / 400 - 405

दिनांक : 12/6/24

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर।
4. अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर।
5. दत्तक माता-पिता श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती आरजू रिज़वी पत्नि श्री अंकित अग्रवाल निवासी 002, ग्राउण्ड फ्लॉर, Tower 03, Harmony Nirvana Country, सेक्टर 50, गुरुग्राम (हरियाणा)।
6. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर